N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0170 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 13/08/2024 20:58 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 10/08/2024 **Date To (दिनांक तक):** 11/08/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:18 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/08/2024 **Time (समय):** 18:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 13/08/2024 20:58:53 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 70 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Office Joint Director, medical and health Services, Jon Udaipur

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Jayprakash Agrawal

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Manoharlal

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1974 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	60 Feet Road TVS Choraha, Manohar Maternity Home, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	60 Feet Road TVS Choraha, Manohar Maternity Home, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DR Jullfikar Ahamd kaji		पिता:Nisar Ahamed Kaji	1. 77,Lohar Colony,Aayad,UDAIPUR,RAJAS

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी, वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.08.2024 को समय 02.00 पी.एम. पर परिवादी डॉ. श्री जयप्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री मनोहर लाल जी जाति अग्रवाल, उम्र 50 साल, निवासी मनोहर मेटरनिटी होम, 60 फीट रोड, टीवीएस चौराहा राजसमन्द पुलिस थाना कांकरोली, जिला राजसमन्द, उपस्थित कार्यालय होकर श्री हिम्मत चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो राजसमन्द को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि " मेरी पत्नी डॉ निशा अग्रवाल के नाम से कस्बा राजसमन्द में मनोहर मेटरनिटी नर्सिग होम नाम से अस्पताल संचालित हैं। जिसमें बतौर चिकित्सक मैं कार्य करता हुं। मेरी पत्नी के नाम से एक सोनाग्राफी मशीन, रेवाबा इन्फर्टीलिटी होस्पीटल उदयपुर से मनोहर मेटरनिटी होम राजसमन्द में स्थानान्तरित करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिसम्बर 2023 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को प्रूस्तुत किया था उक्त सोनाग्राफी मशीन को विक्रय करने की अनुमति/स्वीकृती डॉ जुल्फिकार अहमद काजी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर द्वारा जुन 2024 में जारी की गई थी लेकिन उक्त सोनोग्राफी मशीन को सील करने (सोनाग्राफी मशीन को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया) की कार्यवाही डॉ जुल्फिकार अहमद काजी संयुक्त निदेशक द्वारा नहीं की गई जो आज दिनांक तक लम्बित हैं। डॉ जुल्फिकार अहमद काजी संयुक्त निदेशक द्वारा अपनी टीम के साथ आकर दिनांक 26.07.2024 को रेवाबा इन्फर्टीलिटी होस्पीटल उदयपुर का निरीक्षण किया गया उस दौरान डॉ जुल्फिकार अहमद काजी द्वारा मेरी पत्नी डॉ निशा अग्रवाल जो की रेवाबा इन्फर्टीलिटी होस्पीटल उदयपुर में बतौर चिकित्सक कार्यरत हैं जिसको डरा धमका कर गैर कानूनी रूप से सोनाग्राफी रजिस्टर एवं एफ फॉर्म में कमीयां निकालकर सोनाग्राफी रजिस्टर एवं एफ फॉर्म को अपने साथ लेकर चले गये जिसकी कोई रसीद भी नहीं दी। डॉ जुल्फिकार अहमद काजी संयुक्त निदेशक द्वारा सोनाग्राफी मशीन को सील करने (सोनाग्राफी मशीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया), सोनोग्राफी रजिस्टर वापस लौटाने और आगे परेशान नहीं करने की एवज में रिश्वत राशि 1,50,000 रूपये अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये की मांग कर मुझे परेशान किया जा रहा हैं। मैं, डॉ जुल्फिकार अहमद काजी संयुक्त निदेशक को मेरे उक्त लम्बित कार्य एवं आगे परेशान नहीं करने की एवज में रिश्वत राशि 1,50,000 रूपये अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये नहीं देना चाहता हुं और उनको रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। मेरे व डॉ जुल्फिकार अहमद काजी संयुक्त निदेशक के बीच कोई पुरानी लेन-देन बाकि नहीं हैं और ना ही कोई आपसी रंजिश हैं। मेरी पत्नी डॉ निशा अग्रवाल की तबीयत खराब होने की वजह से वो मेरे साथ नहीं आयी हैं। मेरे द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाही में मेरी पत्नी श्रीमती निशा अग्रवाल की पूर्ण सहमति हैं। अतः रिपोर्ट करता हुं, कानूनी कार्यवाही करावें। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् पुलिस निरीक्षक को उनके कार्यालय कक्ष में बुलाकर कर उनके समक्ष बैठे एक व्यक्ति का परिवादी डॉ. श्री जयप्रकाश अग्रवाल के रूप में परिचय करवाया जाकर परिवादी डॉ. श्री जयप्रकाश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को अपने कक्ष में लाकर, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में मजीद पूछताछ की तो परिवादी ने बताया कि "मेरी पत्नी के नाम से एक सोनोग्राफी मशीन, रेवाबा इन्फर्टीलिटी होस्पीटल उदयपुर से मनोहर मेटरनिटी होम राजसमन्द में स्थानान्तरित करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिसम्बर 2023 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को प्रूस्तुत किया था उक्त सोनोग्राफी मशीन को विक्रय करने की अनुमति/स्वीकृती डॉ. जुल्फिकार अहमद काजी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर द्वारा जुन 2024 में जारी की गई थी लेकिन उक्त सोनोग्राफी मशीन को सील करने (सोनाग्राफी मशीन को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया) की कार्यवाही डॉ जुल्फिकार अहमद काजी संयुक्त निदेशक द्वारा नहीं की गई जो आज दिनांक तक लम्बित हैं। डॉ. जुल्फिकार अहमद काजी संयुक्त निदेशक द्वारा सोनाग्राफी मशीन को सील करने (सोनाग्राफी मशीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया), सोनोग्राफी रजिस्टर वापस लौटाने और आगे परेशान नहीं करने की एवज में रिश्वत राशि 1,50,000 रूपये अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये की मांग कर मुझे परेशान किया जा रहा हैं। मैं, डॉ जुल्फिकार अहमद काजी संयुक्त निदेशक को मेरे उक्त लम्बित कार्य एवं आगे परेशान नहीं करने की एवज में रिश्वत राशि 1,50,000 रूपये अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये नहीं देना चाहता हुं और उनको रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित तथ्यो एवं मजिद दरियाफ्त से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन की

कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय के मालखाना इंचार्ज श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नं0 117 से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवादी श्री जयप्रकाश अग्रवाल को डिजीटल वॉईस रिकार्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर संदिग्ध कर्मचारी डॉ0 श्री जुल्फीकार अहमद काजी से मांग सत्यापन वार्ता करवाने बाबत् परिवादी श्री जयप्रकाश से पूछा तो परिवादी ने बताया कि डॉ0 श्री जुल्फीकार अहमद काजी बहुत ही शातिर है वह आज ही रिश्वत राशि की मांग कर, कुछ ही समय में रिश्वत राशि प्राप्त करेगा। जिस पर अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से उप निदेशक कृषि उधान राजसमन्द एवं अधिशाषी अभियंता अ0वि0वि0नि0लिमि0 राजसमन्द को अलग-अलग तहरीर जारी कर एवं जरिए दुरभाष दिनांक 10.08.2024 को अविलम्ब दो स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। तत्पश्चात कार्यालय हाजा के श्री भंवरदान कानि0 नं0 414 को मन् पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाकर उपस्थित परिवादी श्री जयप्रकाश से परिचय करवाया गया। श्री भंवरदान कानि. नं. 414 को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड के सुपूर्द कर निर्देश दिये कि परिवादी डॉ0 श्री जयप्रकाश अग्रवाल के साथ उदयपुर पहुंचकर परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन एवं रख रखाव की विधि की समझाईश कर, सिपूर्द कर संदिग्ध डॉ. श्री जुल्फिकार अहमद काजी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाने की हिदायत कर परिवादी की निजी कार से उदयपुर की तरफ रवाना किया गया। इसके बाद पाबन्द शुदा श्री शिवांग नेहरा कृषि अधिकारी उधान, कार्यालय उप निदेशक उधान, जिला राजसमन्द एवं श्री महेश चन्द मुण्डोतिया कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड राजनगर जिला राजसमन्द उप0 कार्यालय आये। समय 05.45 पी.एम.पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मालखाना प्रभारी श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं0 117 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाने से निकलवाकर श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 को अपने पास सुरक्षित रखने एवं उपस्थित ब्यूरो स्टाफ व दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री महेश चंद एवं श्री शिवांग नेहरा, ब्यूरो जाब्ता हैड कानि0 श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117, कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262, श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक मय लेपटोप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स, मय आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन नम्बर आर.जे. 14 वी.सी. 2589 के उदयपुर के लिए रवाना हो समय 07.10 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो जाप्ता मय हमराहियान के सेलीब्रेशन मॉल उदयपुर के पास एक तरफ पहूंचे, जहां पर श्री भंवरदान कानि. 414 एवं डॉ0 श्री जयप्रकाश अग्रवाल उपस्थित मिले। श्री भंवरदान कानि. ने बताया कि मैंने समय 03.30 पी.एम. पर मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर उदयपुर पहुचने से पूर्व संदिग्ध की लोकेशन की जानकारी हेतु समय करीबन 04.31 पीएम पर श्री जयप्रकाश अग्रवाल के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध के मोबाईल नम्बर पर व्हाटसएप्प कॉल करवाया, जिस पर परिवादी डॉ0 श्री जयप्रकाश अग्रवाल के फोन को लाउड स्पीकर पर रखकर डॉ0 श्री जयप्रकाश व संदिग्ध के मध्य हुई उक्त मोबाईल व्हाटसएप्प वॉईस कॉलिंग वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। उक्त वार्ता में संदिग्ध ने परिवादी से कहा कि मैं ऑफिस से घर आ गया हूं, मैं सेलीब्रेशन की तरफ आउंगा, तो कॉल करूंगा। जिस पर मैं व परिवादी संदिग्ध के फोन के इंतजार में रहे। तत्पश्चात समय 07.06 पी.एम. पर श्री जयप्रकाश अग्रवाल के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध के मोबाईल नम्बर पर व्हाटसएप्प कॉल करवाया, जिस पर परिवादी डॉ0 श्री जयप्रकाश अग्रवाल के फोन को लाउड स्पीकर पर रखकर डॉ0 श्री जयप्रकाश व संदिग्ध के मध्य हुई उक्त मोबाईल व्हाटसएप्प वॉईस कॉलिंग वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। उक्त वार्ता में संदिग्ध ने परिवादी से कहा कि मैं सेलीब्रेशन की तरफ आ रहा हूं,। तत्पश्चात् परिवादी डॉ. श्री जयप्रकाश अग्रवाल ने श्री भंवर दान कानि0 414 के बताए गए तथ्यों की ताईद की। मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालु कर उक्त वार्ताओं को सुना गया तो उक्त वार्ता होने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात उपस्थित दोनो गवाहान एवं स्टाफ का परिवादी डॉ0 श्री जयप्रकाश अग्रवाल से आपस में परिचय करवाया गया। दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढकर सुनाया जाकर पढ़ाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह रहने की सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से आवश्यक पूछताछ कर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतोर गवाहान के रूप में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति दी गई तत्पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर परिवादी एवं दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री जयप्रकाश एवं संदिग्ध डॉ. श्री जुल्फीकार अहमद के मध्य हुई उक्त मोबाईल व्हाटसएप्प वॉईस कॉलिंग वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की जावेगी। उक्त वार्तानुसार मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के सेलीब्रेशन से कुछ दुरी पर अपनी उपस्थित छुपाते हुए संदिग्ध के आने के इंतजार में रहे। मन् पुलिस निरीक्षक ने संदिग्ध की लोकेशन की जानकारी हेतु श्री जयप्रकाश अग्रवाल के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध के मोबाईल नम्बर पर समय करीब 07.29 पीएम पर व्हाटसएप्प कॉल करवाया, जिस पर परिवादी डॉ0 श्री जयप्रकाश अग्रवाल के फोन को लाउड स्पीकर पर रखकर डॉ0 श्री जयप्रकाश व संदिग्ध के मध्य हुई उक्त मोबाईल व्हाटसएप्प वॉईस कॉलिंग वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। उक्त वार्ता में संदिग्ध ने परिवादी से सेलीब्रेषन में आने को कहा। तत्पश्चात् परिवादी श्री जयप्रकाश अग्रवाल को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर समय 07.39 पीएम पर चालुकर सिपूर्द

कर संदिग्ध से मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु सेलीब्रेशन के लिए रवाना कर पिछे-पिछे श्री भंवरदान कानि0 नं0 414 को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। जो समय 08.10 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 व परिवादी डॉ0 श्री जयप्रकाश उपस्थित आये तथा श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के मन् पुलिस निरीक्षक को सिपूर्द कर बताया कि परिवादी ने संदिग्ध से वार्ता कर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मुझे दिया, जिसे मैंने बन्द कर अपने पास रखा। तत्पश्चात परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरी डॉ0 श्री जुल्फीकार अहमद से वार्ता हो गयी है, उन्होने मुझसे वन पोईन्ट फाईव के लिए कहा, तब मैंने कुछ राशि कम करते हुए एक लाख रूपये के लिए बोला तो डॉ0 श्री जुल्फीकार अहमद ने वन पोईन्ट टू फाईव देने के लिए कहा तथा मुझे रिश्वत राशि लेकर तुरन्त आने को कहा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालु कर सुना तो रिश्वत राशि मांग होने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात श्री गोविन्द नारायण कानि0 नं0 117 को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुरक्षित रखने हेतु संभलाया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी डॉ0 श्री जयप्रकाश अग्रवाल ने बताया कि मेरे मोबाईल नं0 पर डॉ0 जुल्फीकार अहमद के मोबाईल नम्बर से वाट्सअप कॉल आया, डॉ0 जुल्फीकार अहमद ने मुझे रिश्वत राशि लेकर नहीं आने से फटकार लगाते हुए दिनांक 11.08.24 को उनके कार्यालय में 12.00 पीएम तक बुलाया है। जिस पर समय 10.30 पी.एम.पर परिवादी श्री जयप्रकाश अग्रवाल को कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262, श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक एवं भंवरदान कानि0 नं0 414 के साथ परिवादी की निजी कार से राजसमन्द के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना कर, मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री महेश चंद एवं श्री शिवांग नेहरा, ब्यूरो जाब्ता हैड कानि0 श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 मय लेपटोप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स, मय आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन नम्बर आर.जे. 14 वी.सी. 2589 के राजसमन्द के लिए रवाना हो 10.45 पीएम पर राजसमन्द ब्यूरो कार्यालय पहुंच, डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी व ट्रेप बॉक्स को सुरक्षित कार्यालय के मालखाना में रखने हेतु मालखाना प्रभारी श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 को सम्भलाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता बरतने बाबत आवश्यक हिदायत कर एवं परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1,25,000 /- की व्यवस्था कर दिनांक 11.08.24 को 8.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। दिनांक 11.08.2024 को समय 08.00 ए.एम.पर पूर्व पाबन्द शुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री शिवांग नेहरा व श्री महेश चन्द एवं परिवादी डॉ0 श्री जयप्रकाश अग्रवाल ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये तथा परिवादी डॉ0 श्री जयप्रकाश ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं संदिग्ध श्री जुल्फीकार अहमद काजी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1,25,000 /- रूपये की व्यवस्था कर अपने साथ लाया हुं। जिस पर हैड कानि0 श्री गोविन्द नारायण नम्बर 117 से ब्यूरो कार्यालय के मालखाना से सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकलवाकर दिनांक 10.08.24 को परिवादी श्री जयप्रकाश अग्रवाल के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध के मोबाईल नम्बर पर हुई व्हाटसएप्प कॉल वार्ताए एवं मांग सत्यापन रूबरू वार्ता, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। परिवादी श्री जयप्रकाश अग्रवाल एवं स्वतंत्र गवाहान श्री शिवांग नेहरा व महेश चन्द के समक्ष डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करा उपरोक्त वार्ता को चलाकर सुनकर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 द्वारा उपरोक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिब शुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में आवाज की पहचान उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी से कराई गई तो परिवादी श्री जयप्रकाश ने उक्त वार्ता में एक आवाज स्वयं की एवं दूसरी आवाज संदिग्ध श्री जुल्फीकार अहमद काजी संयुक्त निदेशक की होना बताया। तत्पश्चात् दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री शिवांग नेहरा एवं श्री महेश चन्द के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी श्री जयप्रकाश अग्रवाल को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री जयप्रकाश अग्रवाल ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 250 नोट कुल राशि 1,25,000/-रूपये प्रस्तुत किय परिवादी द्वारा प्रस्तुत भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के उक्त समस्त नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु मालखाना प्रभारी श्री गोविन्द नारायण जोशी हैड कानि0 117 की उपस्थिति में श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक से कार्यालय के मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर अखबार बिछा कर अखबार पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु निर्देशित करने पर श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक द्वारा उक्त समस्त नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया तथा परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी रिश्वत राशि लिफाफे में ही प्राप्त करते हैं। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगी रिश्वत राशि 1,25,000 रूपये के नोटों की तीन गड्डियां तैयार करवा रिश्वत राशि (तीनों गड्डियों) को एक लिफाफे में रखवाये जाकर लिफाफे पर भी श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी द्वारा अपने साथ में लाये गये काले रंग के हेण्डबेग की खाना तलाषी स्वतंत्र गवाह श्री शिवांग नेहरा से लिवाई जाकर उक्त रिश्वत राशि के लिफाफे को परिवादी के काले रंग के हेण्डबेग में कोई वस्तु नहीं छोडते हुए श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक से रखवाये गये। तत्पश्चात् एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर जिसमें एक चम्मच सोडियम

कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर दोनो ही स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक के हाथ की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान श्री शिवांग नेहरा व श्री महेश चन्द के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करायी जाकर परिवादी को हिदायत दी कि रिश्वती राशि देने के बाद अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा करे तथा यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ते का आपस में परिचय करवाया गय परिवादी को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की पुनः समझाईस कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी को सिपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें। तथा फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मालखाना प्रभारी श्री गोविन्द नारायण जोशी हैड कानि0 117 की उपस्थिति में श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक से कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाई जाकर श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक को ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द में ही रूकने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से मूर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्रीमती सीता हैड कानि. नं. 233, श्री भंवरदान कानि0 नं0 414 को परिवादी डॉ0 श्री जयप्रकाश के साथ परिवादी की निजी गाडी से उदयपुर के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना कर, मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री महेश चंद एवं श्री शिवांग नेहरा, श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नं0 117, कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262, मय लेपटोप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स, मय आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन नम्बर आर.जे. 14 वी.सी. 2589 से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु उदयपुर के लिए रवाना हुआ। समय करीबन 11.44 एएम पर संदिग्ध के मोबाईल नम्बर से श्री जयप्रकाश अग्रवाल के मोबाईल नम्बर पर व्हाटसएप्प कॉल आया, जिस पर परिवादी डॉ0 श्री जयप्रकाश अग्रवाल के फोन को लाउड स्पीकर पर रखकर डॉ0 श्री जयप्रकाश व संदिग्ध के मध्य हुई उक्त मोबाईल व्हाटसएप्प वॉईस कॉलिंग वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। उक्त वार्ता में संदिग्ध ने परिवादी को अपने कार्यालय में आने के लिए कहा। इस समय मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जोन उदयपुर के बाहर रूक कर, परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालु कर सिपूर्द कर संदिग्ध डॉ0 श्री जुल्फीकार अहमद काजी को रिश्वत राशि देने हेतु रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों गवाहान ब्यूरो टीम अपनी अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मूकिम हुए। तत्पश्चात् समय 12.18 पी.एम. पर परिवादी श्री जयप्रकाश अग्रवाल द्वारा कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर से बाहर आकर आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में पूर्व निर्धारित ईशारा(अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर) किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक, हमराह उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री शिवांग नेहरा व श्री महेश चन्द तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री गोविन्दनारायण हैड कानि0 नं0 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262, श्री भंवरदान कानि0 नं0 414 परिवादी श्री जयप्रकाश अग्रवाल के पास पहुंचे जहां पर परिवादी ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जो चालू था जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने बंद कर अपने पास सुरक्षित रख मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के साथ-साथ कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर परिसर में तेज-तेज कदमों से चलते हुए संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर के कार्यालय कक्ष में प्रवेश किया जहां पर परिवादी श्री जयप्रकाश अग्रवाल ने संयुक्त निदेशक की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि "यहीं डॉ जुल्फिकार अहमद काजी संयुक्त निदेशक हैं जिनकी मांग के अनुसार मैने अभी-अभी रिश्वत राशि 1,25,000 रूपये का लिफाफा जिसे मैने अपने काले रंग के हेण्ड बैग से निकालकर इनके कहे अनुसार डॉ जुल्फिकार अहमद काजी संयुक्त निदेशक की कुर्सी के सामने स्थित खिडकी की ताक पर रखा हैं जो अभी भी वहीं पडा हैं।" जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम डॉ जुल्फिकार अहमद काजी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ब्यूरो जाब्ता के समक्ष आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी को परिवादी श्री जयप्रकाश अग्रवाल से रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछा तो आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी ने रिश्वत राशि नहीं लेना बताया। इस पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक एवं उपस्थित स्वतंत्र गवाहान व हमराहियान जाब्ता के समक्ष डॉ जुल्फिकार अहमद काजी संयुक्त निदेशक की कुर्सी के सामने स्थित खिडकी की ताक की तरफ ईशाराकरते हुए बताया कि इन्होंने रिश्वत राशि का लिफाफा यहां पीछे की तरफ रखवाया हैं। इस पर आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि "मुझे कुछ ध्यान नहीं है, अभी तो टॉयलेट भी गीला है, मैं आया, यह मिलने आये थे, इनको कुछ काम था मेरे से, सर मेरे एक मशीन शिफ्ट करनी है और मेरे एक में कुछ चक्कर है वो क्यों नहीं पुरा हो रहा है, मैने कहा मशीन तो आपकी मेरे पास कागज नहीं आया, आयेगा

जब शिफ्ट कर दूंगा, फिर धन्यवाद बोला और चले गये, मैं बस यह क्या हैं कि अभी मेरे को लुज मोषन हो गया तो टॉयलेट करने गया था, यह बैठा और चला गया, यहां से हिला भी नहीं हुं मैं" इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी को पूछा कि परिवादी श्री जयप्रकाश अग्रवाल आपके पास किस कार्य के लिए आये थे इस पर आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी ने बताया कि "सोनोग्राफी की मशीन इनको शिफ्ट करनी थी, इन्होंने एप्लीकेशन लगाई होगी, मेरे पास आई नहीं, ऑन लाईन जाती है, पीसीपीएनडीटी का कोर्डिनेटर होता हैं तो उसने लगाई होगी मशीन, बाकि इन्होंने कहा था कि पुरानी मशीन हैं काम भी नहीं आनी हैं, आप इसे शिफ्ट करवा दिजीये, मैने कहा मैं कल तो जयपुर जा रहा हुं और परसो आ जाउंगा उसको शिफ्ट कर देंगे" इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी को पूछा कि आज आपने परिवादी को ऑफिस बुलाया था इस पर आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि "हां, आज क्या हैं न सर मैं जा रहा हुं जयपुर, यह बार-बार मेरे से कह रहे थे कि मेरा काम कर दो, मैने कहा कर दूंगा।" इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री जयप्रकाश अग्रवाल से पूछा कि आपने पैसे आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी को दिये हैं इस परिवादी ने बताया कि "मैं पैसे लेकर आया, इन्होंने बोला कि सामने कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं कुर्सी पर बैठ गया, फिर हमारी बात हुई, मैने कहा कि वो काम आप देख लेना, इन्होंने कहा कर दूंगा आप चिंता मत करो, फिर मैने बोला कि डॉ आनन्द गुप्ता हैं वो बहुत हरेसमेण्ट करता हैं तो उसको मना करना कि वो बहुत बदतमीजी करता हैं, यहां आते हैं यह तो बदतमीजी नहीं करते हैं लेकिन वो बहुत बदतमीजी करता हैं, सबसे बडी गलती यह है कि उस बदतमीज आदमी को लेकर आते हैं, वो बदतमीजी करता हैं और यह पैसे लेते हैं, इनका गिरोह हैं और इन्होंने पहले भी पैसे लिये हैं, बदतमीजी करते हैं दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, मैने इनको कहा कि यह पैसे लो तो इन्होंने कहा कि पीछे रख दो।" मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से पूछा की कितने पैसे थे उसमें इस पर परिवादी ने बताया कि 1,25,000 रूपये थे उसमें।" मन् पुलिस ने परिवादी से पूछा कि इन्होंने पहले मांगा था आपसे इस पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि "हां, इन्होंने पहले मांगा था, कल हमारी मीटिंग हुई थी सेलेब्रेषन मॉल में, इन्होंने 1,50,000 रूपये मांगे, मैने कहा सर मैं तो गरीब हुं, बच्चा हुं, मेरा होस्पीटल चलता नहीं हैं, इस बात को यह भी जानते हैं कि होस्पीटल नहीं चलता हैं ज्यादा।" इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी से पूछा कि यह बात सही हैं कि आपने परिवादी से पैसे मांगे थे इस पर डॉ जुल्फिकार अहमद काजी ने रिश्वत राशि की मांग नहीं करना बताया। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि "फिर मैने इनसे रिक्वेस्ट करी तो फिर इन्होंने बोला कि फाईनल नेगोशिएट मत करना, एक पच्चीस में फाईनली हो जायेगा, मैने कहा ठीक हैं सर।" मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से पूछा कि आज यहां आने के बाद आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी ने क्या कहा था इस पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि "यहां आने के बाद इन्होंने कहा कि बस यहां पीछे रख दो, मैने रख दिया, फिर इन्होंने कहा कि पर्दा सही कर दो, मैने सही कर दिया, फिर मैने कहा कि मै जाता हुं, दया दृष्टि बनाये रखना और छः महिने तक परेशान मत करना कम से कम, इन्होंने कहा ठीक हैं।" मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री जयप्रकाश अग्रवाल से पूछा की यह पैसे आपने डॉ जुल्फिकार अहमद काजी को किस काम के लिए दिये हैं इस पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि "सोनोग्राफी की मशीन हैं जिसकी एप्लीकेशन छः महीने से इनके पास पडी हुई है, जिसका एक महीने के अन्दर उसका निस्तारण करना होता हैं, लेकिन यह छः महीने तक इसको लेके बैठे रहे, मैने इनसे खुब रिक्वेस्ट करी, इन्होंने कोई बात नहीं मानी, फिर मैने इनसे टाईम लिया तो इन्होंने कल सेलीब्रेशन मॉल में बुलाया, फिर मैने इनसे पैसे तय किये, मैं इन्हें पैसे देने जा रहा था उस समय मेरे पास अरेजमेण्ट नहीं हो पाया, इसलिए मैं आज सुबह अरेजमेण्ट करके इनके पास देने आया हुं।" मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से पूछा कि आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी ने पैसे का लिफाफा आपसे कहां पर रखवाया हैं इस पर परिवादी ने डॉ जुल्फिकार अहमद काजी की कुर्सी के सामने स्थित खिडकी की ताक की तरफ ईशाराकरते हुए कहां कि यहां पर पर्दे के पीछे रखवाया हैं। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के बताये अनुसार खिडकी का पर्दा हटवाकर खिडकी की ताक पर रखे लिफाफे को स्वतंत्र गवाह श्री शिवांग नेहरा से उठवाकर उक्त लिफाफे को दोनों स्वतंत्र गवाहान से खुलवाया गया तो लिफाफे के अन्दर 500-500 रूपये (भारतीय चलन मुद्रा) के नोटों की तीन गड्डियां मिली जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये गये तो 500-500 रूपये (भारतीय चलन मुद्रा) के 250 नोट कुल राशि 1,25,000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो नोटो के नम्बर निम्नानुसार समान पाये गये, 8PL 482730, 7DF 547975, 3NM 992291, 1NV 021490, 5NN 009773, 0RP 918469, 2WA 506999, 3BC 582376, 4WC 110305, 5PV 218320, 9NQ 241490, 2WS 620370, 6BE 544783, 7KW 730776, 2PT 267817, 0DR 972175, 2SN 569621, 9DA 929396, 9WC 243102, 2HQ 603660, 9GC 976524, 0KF 271476, 8CR 771454, 6BK 630994, 1DU 015487, 3KD 195883, 7FL 522161, 8RH 233880, 4PK 174976, 5GP 986771, 1NC 572385, 0EU 458422, 5PM 033070, 6LQ 490154, 2UK 750762, 6NG 734400, 4PQ 945951, 4CB 895853, 3EE 213001, 0PK 211473, 1SM 247795, 6WF 855592, 3WE 146883, 8SQ 623850, 8SQ 623851, 8SQ 623852, 8SQ 623853, 8SQ 623854, 3TC 057254, 8PL 482731, 9PB 231815, 9UM 338511, 3AQ 058548, 8QP 983675, 9VM 765192, 9FN 301555, 9AB 188359, 4AC 102641, 3NT 110890, 3TD

555171, 5LQ 858060, 7EP 934272, 2FS 752237, 2QD 736647, 1AC 644265, 3FS 264198, 5MQ 648599, 3GK 336609, 2FT 841639, 3AG 847286, 0WQ 169189, 7CC 051432, 3AH 028943, 5NW 953946, 6TD 331643, 0SE 029008, 7SW 306487, 4TN 485247, 0LP 496890, 2UC 107702, 8DE 018606, 3EE 213002, 8UC 505328, 8NT 610671, 5EU 480467, 4GF 143590, 1TK 569443, 3FM 449660, 2FR 226912, 9DD 862027, 9WE 334929, 7QN 868412, 7EC 879132, 7VF 010223, 9GA 329219, 1AT 424692, 6FV 264552, 7LF 881952, 3RA 075041, 7FW 153917, 7HS 531176, 4QE 655493, 3CL 878319, 3SP 339908, 8SP 854548, 3WP 825970, 7PF 764591, 1MM 196397, 2RK 187677, 8SP 854547, 8SP 854549, 8SP 854551, 8SP 854552, 8SP 854550, 8SP 854553, 0GU 379538, 9RB 786611, 5PS 575861, 2GU 339034, 2QQ 632941, 9BC 216736, 6VM 831502, 9AC 291407, 9FS 023990, 0LC 633518, 1SC 633636, 9BV 950686, 2GS 436647, 1BW 241018, 0MW 951867, 1TN 778645, 7MC 269111, 9BC 957175, 8CL 199264, 0PA 683160, 8RB 433293, 2QT 696642, 1SU 343506, 8KA 168919, 0BH 428124, 3TL 774734, 1DH 076844, 2GQ 620693, 2GQ 620694, 2WP 039996, 2DK 917429, 9RD 621868, 8FR 559232, 6FD 957590, 3GU 107232, 2ES 984086, 3QC 004602, 9EQ 700383, 9DL 696981, 4PM 280711, 9QS 049396, 1EA 084876, 3NE 637570, 6NH 519821, 6NH 519822, 4FF 633068, 1CP 100515, 1CP 100514, 2SR 567735, 6NH 519823, 6VL 245540, 1BH 325707, 2HS 211528, 5DE 986657, 5CF 990058, 1AF 743484, 6NH 519824, 9HP 706898, 5DQ 755076, 8VH 106581, 9DU 895414, 0CH 928774, 3HS 747222, 9MS 457953, 1VS 584659, 6PQ 335260, 9AB 072724, 1UN 007032, 5HA 896543, 2SM 134936, 9AU 209717, 9GA 019186, 1ES 196500, 4HS 474705, 7HQ 062272, 6GE 259780, 0AN 341960, 8WL 620403, 0HB 104515, 3KD 579444, 6NH 519825, 6NH 519826, 3PW 078451, 0RH 648148, 2MV 714283, 6DQ 484902, 6PE 278696, 7GL 038311, 1BL 828338, 6CN 659964, 6DG 831797, 5NS 280740, 4BG 790805, 4HT 436871, 6QS 267807, 8RA 787518, 6SB 210737, 2QG 022414, 7QK 518711, 6CL 173857, 6QP 706888, 5EG 240108, 3NU 728496, 4EQ 542554, 4AB 272466, 7EA 615666, 4SD 532174, 9VB 084007, 2DB 614561, 5ME 832035, 6GW 325477, 0DF 868798, 9CW 867556, 6EF 293790, 1HP 207883, 4AK 029271, 2MN 390522, 0LW 821212, 2TV 304626, 9HU 561310, 9AC 139106, 2HE 951859, 3RB 483195, 7HC 389203, 5FR 809635, 6GK 839105, 4HG 591942, 8FL 372581, 7MW 826639, 8FH 664278, 6FU 508448, 0QS 097622, 2CF 078856, 2AD 161161, 8QL 404435 उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि स्वतंत्र गवाह श्री महेश चन्द को अपने पास सुरक्षित रखने हेतु सम्भलाई गई। तत्पष्चात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चालू कर दिनांक 11.08.2024 को हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता को चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता होना पाया गया तथा आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी द्वारा उक्त वार्ता एक आवाज अपनी स्वयं होने व परिवादी श्री जयप्रकाश अग्रवाल से वार्ता होना स्वीकार किया। इसके उपरांत मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दिनांक 10.08.2024 को परिवादी व आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी को सुनाई गई तो आरोपी द्वारा उक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की होने व श्री जयप्रकाश अग्रवाल से वार्ता होना स्वीकार किया तथा आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी को उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता के दौरान परिवादी श्री जयप्रकाश अग्रवाल से सोनोग्राफी की मशीन को सील करने (सोनोग्राफी मशीन को ट्रान्सफर करने की प्रक्रिया), सोनोग्राफी रजिस्टर वापस लौटाने एवं आगे परेशाननहीं करने की एवज में रिश्वत राशि 1,50,000 रूपये की मांग करने एवं परिवादी द्वारा कुछ कम करने की कहने पर 1,25,000 रूपये की मांग करने एवं मांग के अनुसरण में दिनांक 11.08.2024 को रिश्वत राशि 1,25,000 रूपये का लिफाफा अपने कार्यालय कक्ष की खिडकी की ताक पर रखवाने के सम्बन्ध में आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी से पूछा गया तो आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी ने अपना सिर झुका कर मन् पुलिस निरीक्षक को कहा कि "साहब मुझे माफ कर दो, मैरे बाईपास सर्जरी हो रखी हैं, मैं बीपी-शुगर का मरीज हुं, मैं यह बदनामी सहन नहीं कर पाउंगा, मुझसे गलती हो गई ऐसी गलती दुबारा नहीं करूंगा, मेरी मदद करना।" आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी को उक्त रिश्वत राशि में डॉ आनन्द गुप्ता का हिस्सा होने के सम्बन्ध में आरोपी से पूछा तो आरोपी ने मना करते हुए कहा कि इसमें डॉ आनन्द गुप्ता का कोई हिस्सा नहीं हैं। चूंकी आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी द्वारा रिश्वत राशि 1,25,000 रूपये का लिफाफा स्वयं अपने हाथों से ग्रहण नहीं करके अपने कार्यालय कक्ष में अपनी कुर्सी के सामने स्थित खिडकी की ताक पर रखवाये हैं इस हेतु रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का धोवण लेने हेतु श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 से सरकारी वाहन नम्बर आर.जे. 14 वी.सी. 2589 में रखे ट्रेप बॉक्स मंगवा कर ट्रेप बॉक्स में से एक साफ

प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरकर उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया, रिश्वत राशि बरामदगी स्थल (संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर के कार्यालय कक्ष की खिडकी की ताक) पर रूंई का फोया रगडकर उक्त रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया तो गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क T-1 व T-2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थनील पाउडर लगा लिफाफा जिसमें रिश्वत राशि रखवाई गई थी उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थेली में रखकर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर के कार्यालय कक्ष की खिडकी की ताक जहां से रिश्वत राशि 1,25,000 रूपये (500-500 रूपये के भारतीय चलन मुद्रा के कुल 250 नोट) स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद हुई जो स्वतंत्र गवाह श्री महेश चन्द के पास सुरक्षित रखवाये गये थे जो स्वतंत्र गवाह श्री महेश चन्द द्वारा पेशकिये जाने पर उक्त नोटो को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसके पष्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष आरेपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी को उसके द्वारा अपनी टीम के साथ दिनांक 26.07.2024 को रेवाबा इन्फर्टीलिटी होस्पीटल उदयपुर का किये गये निरीक्षण के दौरान अपने कब्जे में लिये गये सोनोग्राफी रजिस्टर एवं एफ फॉर्म एवं रेवाबा इन्फर्टीलिटी होस्पीटल उदयपुर से सम्बन्धित दस्तावेज पेशकरने हेतु कहने पर आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी द्वारा अपने कार्यालय के कार्मिक श्री दीपेशपुरी गोस्वामी कनिष्ठ सहायक को बुलाकर कार्यालय की अलमारी से कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए जोन उदयपुर के पत्रांक 1057 दिनांक 24.06.2024 से रेवाबा इन्फर्टीलिटी होस्पीटल उदयपुर को जारी पत्र की प्रति एवं एक हरे रंग का रजिस्टर व एफ फॉर्म पत्रावली निकलवाकर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेशकी जिसका अवलोकन कर उक्त सोनोग्राफी रजिस्टर के पृथम व अन्तिम पेज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा एफ फॉर्म पत्रावली (मूल) जिस पर WINGS WOMENS HOSPITAL NOVA IVF FERTILITY JULY 2024 लिखा हुआ। जिसके पृथम व अन्तिम पेज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए जोन उदयपुर के पत्रांक 1057 दिनांक 24.06.2024 से रेवाबा इन्फर्टीलिटी होस्पीटल उदयपुर को जारी पत्र की प्रति पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी संयुक्त निदेशक को उक्त सोनोग्राफी रजिस्टर एवं एफ फॉर्म को निरीक्षण के दौरान अपने कब्जे में लेने से सम्बन्धित दस्तोवज पेशकरने हेतु कहने पर आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी द्वारा उक्त सोनोग्राफी रजिस्टर एवं एफ फॉर्म को रिकॉर्ड पर नहीं लेना बताया। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी को रेवाबा इन्फर्टीलिटी होस्पीटल उदयपुर के नाम पर उसके द्वारा कोई नोटिस जारी किया गया हो तो पेश करने हेतु कहा गया तो आरोपी ने रेवाबा इन्फर्टीलिटी होस्पीटल उदयपुर के नाम पर कोई नोटिस जारी नहीं करना बताया। तत्पश्चात् फर्द नक्षा मौका घटनास्थल मौके पर मूर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये एवं फर्द खाना तलाषी आरोपी डॉ0 श्री जुल्फीकार अहमद के रिहायशी मकान नम्बर 77, लौहार कॉलोनी, आयड उदयपुर की नियमानुसार ली जाकर फर्द मूर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये। आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी पुत्र श्री निसार अहमद काजी, उम्र 61 साल, निवासी मकान नम्बर 77, लौहार कॉलोनी, आयड उदयपुर पुलिस थाना भूपालपुरा, जिला उदयपुर हाल संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी डॉ. जुल्फिकार अहमद काजी को नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन देन एवं मोबाईल वार्ता, फर्द मोबाईल जप्ती, फर्द जप्ती मूल पेन ड्राईव, फर्द मेमोरी कार्ड एवं फर्द नष्टीकरण अलग से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियां से पाया गया कि आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी, संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर दिनांक 26.07.2024 को रेवाबा इन्फर्टीलिटी होस्पीटल उदयपुर का किये गये निरीक्षण के दौरान अपने कब्जे में लिये गये सोनोग्राफी रजिस्टर को वापस लौटाने एवं सोनाग्राफी मशीन को रेवाबा इन्फर्टीलिटी होस्पीटल उदयपुर से मनोहर मेटरनिटी होम राजसमन्द में स्थानान्तरित करने के क्रम में उक्त सोनोग्राफी मशीन को सील करने (सोनाग्राफी मशीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया) और आगे परेशान नहीं करने की एवज में दिनांक 10.08.2024 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी द्वारा परिवादी श्री जयप्रकाश अग्रवाल से रिश्वत राशि 1,50,000 रूपये की मांग करना तथा परिवादी द्वारा रिश्वत राशि कुछ कम करने की कहने पर आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी द्वारा रिश्वत राशि 1,25,000 रूपये की मांग करना तत्पश्चात रिश्वत राशि मांग के अनुसरण में दिनांक 11.08.2024 को आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 1,25,000 रूपये का लिफाफा अपने हाथों से ग्रहण नहीं कर रिश्वत राशि का लिफाफा अपने कार्यालय कक्ष (कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर) में स्थित खिडकी की ताक पर रखवाना जहां से रिश्वत राशि

1,25,000 रूपये दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद होना तथा आरोपी डॉ जुल्फिकार अहमद काजी के कार्यालय कक्ष में स्थित खिडकी की ताक (रिश्वत राशि बरामदगी स्थल) पर रूंई का फूंवा रगडकर लिये गये धोवण का रंग गुलाबी होना पाया जाने से आरोपी डॉ. जुल्फिकार अहमद काजी पुत्र श्री निसार अहमद काजी, उम्र 61 साल, निवासी मकान नम्बर 77, लौहार कॉलोनी, आयड उदयपुर, पुलिस थाना भूपालपुरा, जिला उदयपुर हाल संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर के विरूद्ध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी डॉ. जुल्फिकार अहमद काजी के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (मंशाराम) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमन्द.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मंशाराम, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी डॉ. जुल्फिकार अहमद काजी पुत्र श्री निसार अहमद काजी, उम्र 61 साल, निवासी मकान नम्बर 77, लौहार कॉलोनी, आयड उदयपुर, पुलिस थाना भूपालपुरा, जिला उदयपुर हाल संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियों नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी डॉ. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईन्टे, उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 181 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 895-98 दिनांक 13.08.2024 प्रतिलिपि:.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2 शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजसमंद। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SONU SHEKHAWAT **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 13/08/2024 21:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	22/01/1963				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)